



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-12032026-270862  
CG-WB-E-12032026-270862

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1203]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 10 मार्च, 2026

का.आ. 1255(अ)—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), अध्याय IV क की धारा 20 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के झाड़ग्राम जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में “बुरामारा-चाकुलिया (59.96 किमी.) नईलाइन” (4.06 किमी. अनुभाग) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए अपेक्षित है एतद् द्वारा भूमि अधिग्रहण की घोषणा की जाती है।

उक्त भूमि में रुचि रखनेवाला कोई भी व्यक्ति, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति कर सकता है।

ऐसे प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल स्थित अपने कार्यालय में, लिखित रूप में देगा और उसका कारण भी बताएगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिकर्ता के माध्यम से सुनने का एक अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने और इस तरह की आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट (भूमि

अधिग्रहण), झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के तहत।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य विवरण उपलब्ध है तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उसका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के झाड़ग्राम जिले में विशेष रेलवे परियोजना "बुरामारा-चाकुलिया (59.96 किमी.) नईलाइन" (4.06 किमी. अनुभाग) के लिए संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क) मौजा- माहादान, जे.एल. संख्या-79, थाना-जामबनी, तहसील-जामबनी, जिला-झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल।

अनुक्रम संख्या	सर्वेक्षण प्लॉट संख्या	किस्म भूमि	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित की जाने वाली प्लॉट का प्रभावित क्षेत्र (भाग/ सम्पूर्ण)	स्वामित्व की स्थिति
	एल. आर.				
1	1	शाल बन	6.879656	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार वन विभाग
2	10	धानीछहराम	0.033184	भाग	निज
3	11	धानीछहराम	0.896783	भाग	निज
4	12	धानीछहराम	0.060298	भाग	निज
5	13	धानीछहराम	0.223386	भाग	निज
6	19	धानीछहराम	0.038445	भाग	निज
7	21	डाही	0.239574	भाग	निज
8	22	डाही	0.938871	संपूर्ण	निज
9	23	कच्चा रास्ता	0.141640	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार
10	28	धानीछहराम	0.001619	भाग	निज
11	30	धानी दोम	0.061512	भाग	निज
12	31	धानी दोम	0.089031	भाग	निज
13	32	धानी दोम	0.004047	संपूर्ण	निज
14	33	धानी दोम	0.373120	भाग	निज
15	34	धानी दोम	0.130309	भाग	निज
16	35	धानी सोम	0.447582	भाग	निज
17	36	धानी दोम	0.200724	भाग	निज
18	37	धानीछहराम	0.480767	भाग	निज
19	38	धानी सोम	0.835676	भाग	निज
20	39	धानी सोम	0.064750	संपूर्ण	निज

21	40	धानी सोम	1.035995	भाग	निज
22	41	धानी सोम	0.089031	संपूर्ण	निज
23	42	धानी सोम	0.012141	संपूर्ण	निज
24	43	डाही	0.031565	भाग	निज
25	44	धानी अवल	0.024281	भाग	निज
26	45	धानी अवल	0.112907	भाग	निज
27	227/260	कच्चा रास्ता	0.129904	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार
28	68/262	डाही	0.745026	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार
29	68/263	शाल बन	2.067134	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार वन विभाग
कुल:			16.388959		

ख)मौजा- अमतलीया, जे.एल संख्या-80, थाना-जामवनी, तहसील- जामवनी, जिला-झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल ।

अनुक्रम संख्या	सर्वेक्षण प्लॉट संख्या	किस्म भूमि	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित की जाने वाली प्लॉट का प्रभावित क्षेत्र (भाग/ सम्पूर्ण)	स्वामित्व की स्थिति
	एल. आर.				
1	47	शाल बन	1.081726	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार वन विभाग
2	48	पथ	0.023067	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार
3	188	पथ	0.001619	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार
4	189	शाल बन	6.083645	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार वन विभाग
5	210	वास्तु	0.089840	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार
6	211	पथ	0.004452	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार
7	284	शाल बन	3.881343	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार वन विभाग
कुल:			11.165681		

ग) मौजा: बाघाखोंदार, जे . एल. संख्या-81, अंचल- जामबनी, थाना-जामबनी, जिला-झाड़ग्राम , पश्चिम बंगाल ।

अनुक्रम संख्या	सर्वेक्षण प्लॉट संख्या	किस्म भूमि	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित की जाने वाली प्लॉट का प्रभावित क्षेत्र (भाग/ सम्पूर्ण)	स्वामित्व की स्थिति
	एल. आर.				
1	1	शाल बन	4.694358	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार वन विभाग
2	11	पथ	0.017401	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार
3	20	शाल बन	0.042087	भाग	पश्चिम बंगाल सरकार वन विभाग
कुल:			<b>4.753846</b>		

[फा.सं. दपूरेनिर्माण/-संगठन/मुख्यालय/भूमि/ डीसीई/सी-II/केजीपी/एनएल/बीडब्ल्यूए-सीकेयू/एसआरपी/डब्ल्यूबी/20A/1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /(निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

### [South Eastern Railway (Construction Organization)]

#### NOTIFICATION

Kolkata, the 10th March, 2026

**S.O. 1255(E).**— In exercise of Power conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), Chapter-IVA (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of “Buramara-Chakulia (59.96 Km.) new line” as “Special Railway Project” (4.06 Km. section) in the district of Jhargram in the state of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the official Gazette, object, under sub-section (1) of the section 20D of the said Act to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, viz. Additional District Magistrate (Land Acquisition), Jhargram, West Bengal in his office by writing, and shall set out the grounds thereof and Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections as per Sub-Section (2) of section 20D of the said Act.

Any order made by the Additional District Magistrate (Land Acquisition), Jhargram, West Bengal-cum-Competent Authority under Sub-Section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans & the other details of the land covered under notification are available and can be inspected by the interested person at the office of the competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structures for Special Railway Project of “Buramara-Chakulia (59.96 Km.) new line” (4.06 Km. section) in the district of Jhargram in the state of West Bengal.

A) Mouza:Mahadan,J.L.No.79,P.S-Jamboni,Tehsil-Jamboni,District:Jhargram,West Bengal

Srl. No.	Survey Plot No.	Classification of land	Area to be acquired (in Hectare)	Affected area of the plot to be acquired (Part/Full)	Status of Ownership
	LR				
1	1	SAL BON	6.879656	Part	Govt. of WB Forest Department
2	10	DHANI CHAHARAM	0.033184	Part	Private
3	11	DHANI CHAHARAM	0.896783	Part	Private
4	12	DHANI CHAHARAM	0.060298	Part	Private
5	13	DHANI CHAHARAM	0.223386	Part	Private
6	19	DHANI CHAHARAM	0.038445	Part	Private
7	21	DAHI	0.239574	Part	Private
8	22	DAHI	0.938871	Full	Private
9	23	KANCHA RASTA	0.141640	Part	Govt. of WB
10	28	DHANI CHAHARAM	0.001619	Part	Private
11	30	DHANI DOAM	0.061512	Part	Private
12	31	DHANI DOAM	0.089031	Part	Private
13	32	DHANI DOAM	0.004047	Full	Private
14	33	DHANI DOAM	0.373120	Part	Private
15	34	DHANI DOAM	0.130309	Part	Private
16	35	DHANI SOAM	0.447582	Part	Private
17	36	DHANI DOAM	0.200724	Part	Private
18	37	DHANI CHAHARAM	0.480767	Part	Private
19	38	DHANI SOAM	0.835676	Part	Private
20	39	DHANI SOAM	0.064750	Full	Private

21	40	DHANI SOAM	1.035995	Part	Private
22	41	DHANI SOAM	0.089031	Full	Private
23	42	DHANI SOAM	0.012141	Full	Private
24	43	DAHI	0.031565	Part	Private
25	44	DHANI AWAL	0.024281	Part	Private
26	45	DHANI AWAL	0.112907	Part	Private
27	227/260	KANCHA RASTA	0.129904	Part	Govt. of WB
28	68/262	DAHI	0.745026	Part	Govt. of WB
29	68/263	SAL BON	2.067134	Part	Govt. of WB Forest Department
<b>Total</b>			<b>16.388959</b>		

B) Mouza: Amtaliya, JL No.80, P.S-Jamboni, Tehsil-Jamboni, District: Jhargram, West Bengal

Srl. No.	Survey Plot No.	Classification of land	Area to be acquired (in Hectare)	Affected area of the plot to be acquired (Part/Full)	Status of Ownership
	LR				
1	47	SAL BON	1.081726	Part	Govt. of WB Forest Department
2	48	PATH	0.023067	Part	Govt. of WB
3	188	PATH	0.001619	Part	Govt. of WB
4	189	SAL BON	6.083645	Part	Govt. of WB Forest Department
5	210	BASTU	0.089840	Part	Govt. of WB
6	211	PATH	0.004452	Part	Govt. of WB
7	284	SAL BON	3.881343	Part	Govt. of W Forest Department
<b>Total</b>			<b>11.165681</b>		

C) Mouza: Baghakhondar, JL No.81, P.S-Jamboni, Tehsil-Jamboni ,District : Jhargram,

West Bengal

Srl. No.	Survey Plot No.	Classification of land	Area to be acquired (in Hectare)	Affected area of the plot to be acquired (Part/Full)	Status of Ownership
	LR				
1	1	SAL BON	4.694358	Part	Govt. of WB Forest Department
2	11	PATH	0.017401	Part	Govt. of W.B.
3	20	SAL BON	0.042087	Part	Govt. of WB Forest Department
<b>Total</b>			<b>4.753846</b>		

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C-II/KGP/NL/BWA-CKU/SRP/WB/20A/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Administrative Officer(Con)